निर्णय न्यायालय श्री जवाहर लाल जैन आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
15/2022	22.06.2022	24.06.2022

प्रार्थना पत्र श्री मनोज कुमार मीना पुत्र श्री चौथीलाल निवासी उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर बाबत् नामान्तकरण में नाम शुद्धि करने।

अपील विरुद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.11.2014 ग्राम काशीपुर ग्राम पंचायत महानन्दपुर ड्योढ़ा।

निर्णय

अपीलार्थी मनोज कुमार मीना द्वारा दिनांक 22.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर यह अपील दर्ज की गई। प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी काशीपुर द्वारा भरे गए नामान्तकरण में थोड़ी गलती होने की वजह से गिर्राजी बेवा चौथी की जगह लखन बाई बेवा चौथी हो गया। उसको सही करने के लिए हल्का पटवारी काशीपुर को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अपील के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहां से दिनांक 24.06.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें पटवारी हल्का महानन्दपुर ड्योढ़ा व पटवारी हल्का उदेई खुर्द द्वारा दिनांक 24.06.2022 को तैयार किया गया फर्द मौका पर्चा साथ में भिजवाया गया है। इस फर्द मौका पर्चा के अवलोकन से विदित है कि लक्ष्मण पुत्र गंगाविशन के वारिस उसके पुत्र भरतलाल, चौथीलाल, गिर्राज, पुत्री गोरन्ती इतबाई है। इनमें से पुत्र चौथीलाल की पुत्री गोरन्ती की तथा पत्नी इतबाई की मृत्यु हो चुकी है। मृतक पुत्र चौथीलाल के वारिस उसका पुत्र मनोज, पुत्री नरसी तथा पत्नी गिर्राजी बताए गए है। लक्ष्मण पुत्र गंगाविशन की विरासत का नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.11.2014 को भरा गया है उसमें लक्ष्मण के मृतक पुत्र चौथीलाल के वारिस मनोज, नरसी व लखनबाई के नाम अंकित किए गए है। प्रार्थी मनोज द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी मतदाता पहचान के अनुसार लखनबाई मनोज की पत्नि है। अर्थात् नामान्तकरण संख्या 122 में मृतक चौथीलाल की पत्नी गिर्राजी का नाम दर्ज नहीं कर इसके स्थान पर लखनबाई बेवा चौथीलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि लखनबाई मृतक चौथीलाल की पत्नि नहीं होकर चौथीलाल के पुत्र

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स.मा.)

मनोज की पत्नी है अर्थात् मृतक चौथीलाल की पुत्रवधु है। नियमानुसार विरासत के नामान्तरकरण में मृतक चौथीलाल की पत्नी गिर्राजी का नाम दर्ज होना आवश्यक है फलस्वरूप प्रस्तुत अपील स्वीकार की जानी उचित है।

आदेश

अतः अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण तहसीलदार वजीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 20.11.2014 ग्राम काशीपुर में दर्ज मृतक चौथीलाल के वारिसों की जांच कर वारिसों के नाम सही प्रकार से नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को मेगा फॉलोअप कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान पंचायत समिति गंगापुर सिटी में मजमे आम में सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर